छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 563/2007</u>

1. **श्री राजकुमार नायडू,** – *अपीलार्थी*
सहकारी निरीक्षक (निलंबित)
कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 13 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजकुमार नायडू द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ, रायपुर से जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 24.02.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही दिये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 26.03.2007 को प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.04.2007 को 10 दिवस में नि:शुल्क जानकारी देने के निर्देश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नही मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 06.06.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रथम अपील के आदेश के बाद भी जानकारी नही देने के कारण दिनांक 20.08.2007 को 15 दिवस में नि:शुल्क जानकारी देने के निर्देश दिये गये थे तथा जन सूचना अधिकारी को विलंब के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया । जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियॉ ने अपने उत्तर में बताया कि उन्होंने आवेदन संयुक्त पंजीयक कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया था, अत: संयुक्त पंजीयक कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को भी बाद में नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने दिनांक 05.05.2008 को उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया । उन्होंने उत्तर के साथ जानकारी अलग से संलग्न करके भेजी है तथा विलंब के लिए सहकारी समितियों से जानकारी विलंब से आने का कारण बताया है । प्रकरण में मौखिक तर्क

के समय यह बताया गया कि जानकारी दे दी गई है और कुछ जानकारी शेष है तथा शेष जानकारी एक सप्ताह में प्रदान करा देंगे । अतः उपरोक्त स्थिति में यह निर्देश दिये जाते है कि जिस सहकारी समितियों से जानकारी प्राप्त करने में विलंब हुआ है, उनके विरूद्ध संयुक्त पंजीयक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावे । साथ ही चूंकि जन सूचना अधिकारी की कोई दुर्भाविना नही थी, अतः उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त